



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 450 राँची, बुधवार,
19 आषाढ़, 1946 (श०)
10 जुलाई, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

आदेश

27 मई, 2024

आदेश सं०- 5/आरोप-1-163/2014 का०-3582--श्री देवनीश किड़ो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 598/03), तत्कालीन प्राचार्य, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, ब्राम्बे, राँची (सप्रति- सेवानिवृत्त) को प्रत्यानुपातिक धनार्जन के मामले में विभागीय अधिसूचना संख्या 652 दिनांक- 06.02.2010 द्वारा असैनिक सेवायें(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियमावली के नियम- 49(क)-1 के तहत तत्कालीन प्रभाव से निलंबित किया गया तथा इनका मुख्यालय, प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची निर्धारित किया गया ।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या- 2698 दिनांक- 28.03.2016 के द्वारा श्री किड़ो को निलंबन मुक्त इस शर्त के साथ किया गया कि निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा ।

3. श्री किड़ो के विरुद्ध निगरानी थाना कांड संख्या - 43 / 2013, दिनांक- 22.11.2013 में विधि विभाग के आदेश संख्या- 40 / जे०, दिनांक- 03.09.2014 द्वारा अभियोजन स्वीकृत की गयी है तथा माननीय विशेष न्यायाधीश, निगरानी, राँची के न्यायालय में आरोप पत्र संख्या - 40/16 दिनांक- 27.05.2016 दायर है ।

4. श्री किड़ो के द्वारा माननीय विशेष न्यायाधीश, निगरानी, राँची के न्यायालय में आत्मसमर्पण किये जाने एवं उनको दिनांक 07.04.2016 को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के आलोक में विभागीय आदेश संख्या- 6748, दिनांक- 04.08.2016 द्वारा हिरासत में लिये जाने की तिथि दिनांक- 07.04.2016 से पुनः निलंबित किया गया है तथा यह निर्णय लिया गया कि इनके विनियमन के संबंध में इनके विरुद्ध दर्ज कांड के फलाफल के आधार पर निर्णय लिया जायेगा ।

5. श्री किड़ो के हिरासत से मुक्त होने के पश्चात् विभागीय आदेश संख्या - 6411, दिनांक- 22.05.2017 द्वारा इनके योगदान की तिथि 02.05.2017 के प्रभाव से श्री किड़ो को निलंबन मुक्त किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा। श्री किड़ो दिनांक- 30.06.2019 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं ।

6. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 1687 दिनांक- 04.10.2023 के साथ संलग्न विशेष लोक अभियोजक, निगरानी न्यायालय, राँची के पत्रांक- 811 दिनांक - 21.06.2021 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार निगरानी थाना कांड संख्या - 43 / 2013, दिनांक- 22.11.2013 की अगली निर्धारित तिथि 19.07.2023 है ।

7. श्री किड़ो के द्वारा विभागीय आदेश संख्या - 4779 दिनांक- 13.09.2021, जिसके द्वारा झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम - 43 (ग) के आलोक में श्री किड़ो को उनके विरुद्ध दर्ज निगरानी वाद संख्या- 43 / 2013 में अंतिम आदेश पारित होने तक औपबंधिक पेंशन जारी रखने एवं उपादान का भुगतान नहीं करने तथा अवकाश नगदीकरण के भुगतान की स्वीकृति इनकी निलंबन अवधि दिनांक- 06.02.2010 से 01.05.2017 के विनियमन के पश्चात इनके विरुद्ध दर्ज थाना कांड के फलाफल के आधार पर दिये जाने का आदेश निर्गत है, को निरस्त करने हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में W.P.(S) No. 4350/2021 देवनीश किड़ो बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक- 20.03.2023 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

“-----In such view of the matter, therefore, the impugned order dated 13.09.2021 apparently seems to reflect non-application of mind on the part of the concerned respondents and accordingly, the same is hereby quashed and set aside and the matter is remitted back to the respondent No. 2 to consider afresh the claims of the petitioner with respect to the leave encashment and the arrears of salary during the period of suspension by considering the case of Dr. Dudh

Nath Pandey v. the State of Jharkhand & Ors (Supra) and on such consideration shall pass a reasoned and speaking order within a period of six weeks from the date of receipt/ production of a copy of this order.

This writ application stands disposed of.

अतः समीक्षोपरांत, श्री देवानीश किडो, सेवानिवृत्त झारप्र०से० (कोटि क्रमांक-598/03), तत्कालीन प्राचार्य, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, ब्राम्बे, राँची के निलंबन अवधि दिनांक- 06.02.2010 से दिनांक- 29.03.2016 एवं दिनांक- 07.04.2016 से दिनांक- 01.05.2017 को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-11 के तहत इस शर्त के साथ विनियमित किया जाता है कि उक्त अवधि में इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन परियोजनार्थ की जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्दू दोराईबुरु

सरकार के संयुक्त सचिव।
